महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-3/2016/मु0स0-60/55-पर्या-16-43(पर्या)/15

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र०।

2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०।

3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

5-सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

4-निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2016

विषयः- **जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) का गठन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-2/2016/234/55-पर्या-16-43(पर्या)/15, दिनांक 25-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-125, दिनांक 15-01-2016 एवं अधिसूचना संख्या-166, दिनांक 20-01-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त के सम्बन्ध में अभी तक जनपद स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार की उपरिसंदर्भित अधिसूचनाओं के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) समिति के गठन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in